महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 20.07.2024

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान-4 के तहत जनपद के समस्त थानों में गठित एण्टी रोमियों टीमों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरुक किया गया-

"मिशन शक्ति अभियान फेज - 4.0" व "शक्ति दीदी" अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.07.2024 को जनपद के प्रत्येक थाने में गठित मिशन शक्ति/एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रअन्तर्गत स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके विरुद्ध हो रहे विभिन्न अपराध जैसे- सार्वजनिक स्थलो में छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं/अपराधओं को रोकने के लिये एवं ऐसे अपराधों के प्रति आवाज उठाने के लिये उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया।

इस दौरान उनकी सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर, वूमेन पावर लाइन 1090, यूपी कॉप एप, महिला हेल्प लाइन181, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 1076, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 इत्यादि के बारे में जानकारियां प्रदान की गई । इस दौरान सभी को अवगत कराया गया कि सभी थानों में उनकी सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है ।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 20.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 20.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उन सभी की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित किया जाये किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाये; सभी से सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाये, निर्देशित किया गया कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये याद रखे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये, किसी भी पीड़ित से गलत व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

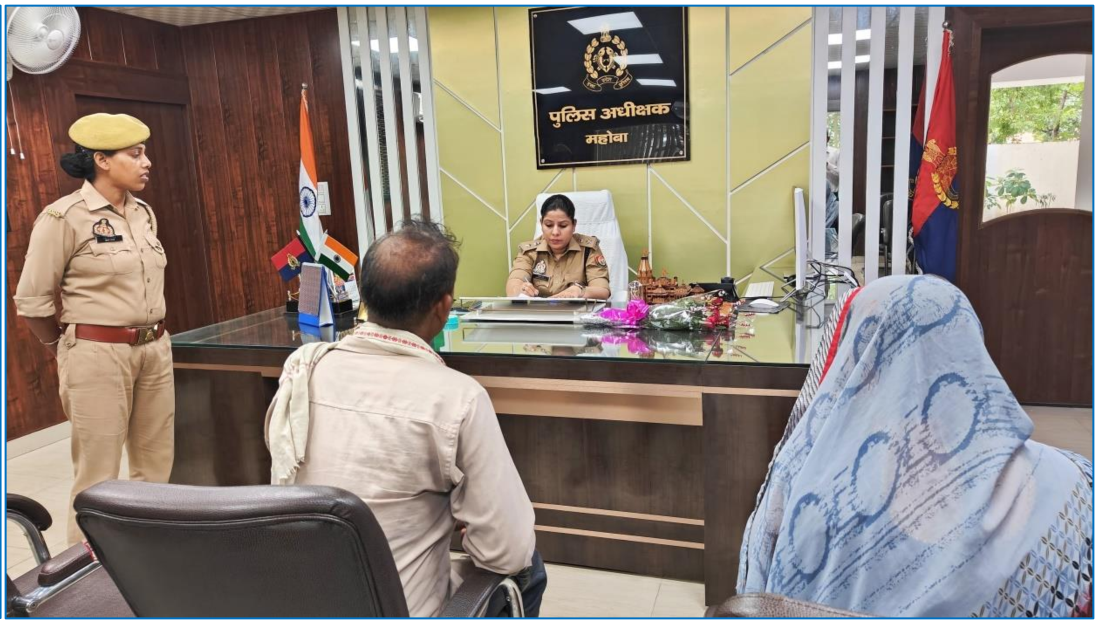

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 20.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 20.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

थाना कबरई पुलिस टीम ने 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ शातिर प्रवृत्ति के अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध गांजा/शराब की बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार मय हमराह के द्वारा 01 नफर अभियुक्त गोविन्द साहू पुत्र कल्लू साहू उम्र करीब 30 वर्ष जिसके कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुए ग्राम पिडारी थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 193/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- 1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार 2. कां0 नरेन्द्र बाबू 3. कां0 शुभम सरोज

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण एवं आपराधिक इतिहास-

गोविन्द साहू पुत्र कल्लू साहू उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मु0 अम्बेडकर नगर शंकर पुरवा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा का आपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 1889/008 धारा 379/411/420/467/471 भादवि थाना कबरई जनपद महोबा
2. मु0अ0सं0 2261/008 धारा 4/5 विस्फोटक अधि0 थाना राठ हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 985/10 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा
4. मु0अ0सं0 1158/10धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा
5. मु0अ0सं0 983/10 धारा 307 भादवि थाना कबरई जनपद महोबा
6. मु0अ0स0 974/10 धारा 379/411 भादवि थाना कबरई जनपद महोबा
7. मु0अ0सं0 901/14 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कबरई जनपद महोबा
8. मु0अ0सं0 656/14 धारा 3 यू.पी गुण्डा एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा
9. मु0अ0सं0 106/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
10. मु0अ0सं0 680/009 धारा 2/3 गै0 एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा
11. मु0अ0सं0 निल/10 धारा 41/411/413 भादवि थाना कबरई जनपद महोबा
12. मु0अ0सं0 134/12 धारा 379 भादवि थाना चंदला जनपद छतरपुर म0प्र0
13. मु0अ0सं0 78/14 धारा 379 भादवि थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा
14. मु0अ0सं0 101/14 धारा 379/411 भादवि थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर
15. मु0अ0सं0 85/14 धारा 401 भादवि थाना मटौध जनपद बांदा
16. मु0अ0सं0 86/14 धारा 3/25 ए एक्ट थाना मटौध जनपद बांदा
17. मु0अ0सं0 288/15 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा
18. मु0अ0सं0 453/15 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कबरई जनपद महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा व जनपदीय स्वॉट की संयुक्त पुलिस टीम ने रिलायंस पेट्रौल पम्प में घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का किया सफल अनावरण, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुई बरामद-

दिनांक 17 जुलाई 2024 की रात्रि करीब 01.30 बजे थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत रिलायंस पेट्रोल पम्प में मोटरसाइकिल में सवार 02 अज्ञात व्यक्ति पेट्रोल भराने के लिये आये थे, रात ज्यादा हो जाने के कारण पेट्रोल पम्प बन्द होने से पेट्रोल पम्प के कार्यालय पहुंच जबरन पेट्रोल भरने के लिये कहने लगे; इस दौरान पेट्रोल पम्प में कार्यरत अमित वर्मा पुत्र वासुदेव वर्मा निवासी बीजानगर रोड महोबा द्वारा बताया गया कि रात ज्यादा होने के कारण पेट्रोल पम्प बन्द हो चुका है पेट्रोल नहीं मिल पाएगा और दरवाजा बन्द करने लगा, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने कहा दरवाजा खोलो नहीं जान से मार दूंगा कहते हुए काफी तेजी से हमला कर दिया, जिससे कांच टूटा और कांच का टुकड़ा अमित वर्मा के गले में घुस गया जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया, घटना को अंजाम देकर मोटरसाइकिल से आये अभियुक्तगण मौके से भाग गये। घायल अवस्था में अमित को जिला अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सक द्वारा हायर सेन्टर झांसी के लिये रेफर कर दिया गया।

इस घटना के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में मु.अ.सं. 350/24 धारा 352/110/115(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा इस घटना का संज्ञान लेते हुए घटना कारित करने वाले अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कर घटना के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा व जनपदीय स्वॉट टीम सहित कुल 03 टीमों का गठन किया गया। गठित हुई पुलिस टीमों को साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित मोटर साइकिल सवार 02 अभियुक्तों का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ जिनकी पहचान कराते हुए शीघ्र ही गिरफ्तार किये जाने हेतु विभिन्न स्थानों में दबिश दी गई।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.07.2024 को गठित पुलिस टीमों मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत पठा पावर हाउस सेखू नगर के पास से उक्त घटना को अंजाम देने वाले सम्बन्धित अभियुक्तगण क्रमशः 1.अर्सिल उर्फ अमान पुत्र सराफत उम्र करीब 22 वर्ष 2.जुनैद खान उर्फ शीबू पुत्र मोमीन खान उम्र करीब 24 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

घटना में पूछताछ एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस को धारा 109 बीएनएस में तरमीम किया गया साथ ही मुकदमा उपरोक्त में SC/ST Act. की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अर्सिल उर्फ अमान पुत्र सराफत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मोहल्ला कुरयाना भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

2. जुनैद खान उर्फ शीबू पुत्र मोमीन खान उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ब्लाक नं. 46 कांशीराम कालोनी बिच्छू पहाडिया थाना कोतवाली नगर महोबा।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो पैशन नीले रंग की।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा।
2. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया, चौकी प्रभारी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा ।
3. का0 प्रवीण कुमार 4. का0 मुकेश सिंह

जनपदीय स्वॉट पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रवि कुमार सिंह, प्रभारी स्वॉट पुलिस टीम
2. उ0नि0 विवेक कुमार
3. का0 निर्भय सिंह 4. का0 रंजीत सिंह 5. का0 कुलदीप यादव

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र का निर्माण, बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा के द्वारा गठित टीम के उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह का0 तेज सिंह व का0 भरत सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त मनीष रैकवार पुत्र रामकुमार रैकवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम लोहरगांव थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम बसरिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 141/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

मनीष रैकवार पुत्र रामकुमार रैकवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम लोहरगांव थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2. का0 तेज सिंह
3. का0 भरत सिंह